141L

-203-

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जून 17—जून 23, 2018, शनिवार/ज्येष्ठ 27—आषाढ़ 2, 1940
No. 25] NEW DELHI, JUNE 17—JUNE 23, 2018, SATURDAY/JYAISTHA 27—ASHADHA 2, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

सा.का.नि. 182.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप–धारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राइफल्स में वारंट अधिकारी (निजी सहायक) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स वारंट अधिकारी (निजी सहायक), मंत्रालयी, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफल्स वारंट अधिकारी (निजी सहायक) भर्ती नियम, 2013 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

Scanned with CamScanner

13|C
-202

c) By Promotion/ Appointment: (i) From amongst Senior Heads, Personnel and General Administration; Senior Heads, Purchase & Stores; Senior Heads, Accounts and Internal Financial Adviser in Indian Space Research Organisation and Senior Head, Internal Audit in Department of Space in PB-4 with a Grade Pay of Rs. 8700/-, and (ii) Heads, Personnel and General Administration; Heads, Purchase & Stores, and Heads, Accounts & Internal Financial Adviser in Indian Space Research Organisation and Deputy Secretary in Department of Space in PB-3 with a Grade Pay of Rs. 7600/- with a combined service of 2 years in PB-3 with a Grade Pay of Rs. 7600 and PB-4 with a Grade Pay of Rs. 8700/- and with a minimum of 14 years service in Group 'A'. Promotion/Appointment is applicable only when the posts is operated at the level of PB-4 + Grade Pay of Rs.8700/-.		

[No. A.-12012/2/2003-I (Vol.II)]
T. KRISHNAKUMAR, Under Secy.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 2018

सा.का.नि. 189.—केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम,1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप निदेशक(सर्वेक्षण), सहायक निदेशक(सर्वेक्षण) और सर्वेक्षक के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन.—ये नियम इन नियमों से सम्बद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

Scanned with CamScanner

12/c

-20/-

5. प्रारंभिक गठन.—उप निदेशक(सर्वेक्षण), सहायक निदेशक(सर्वेक्षण) और सर्वेक्षक पदधारक जिन्हें इन नियमों के लागू होने से पहले उक्त पदों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण संकल्प संख्या 272 दिनांक 29.03.1967, 43 दिनांक 05.05.1979, 25 दिनांक 31.01.1991 के तहत नियुक्त किया गया था एवं संशोधित संकल्प संख्या 89/2015 दिनांक 16.06.2015 इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त माना जाएगा और इनके लागू होने से पहले उक्त पदों पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की गणना परिवीक्षा, पुष्टि, प्रोन्नति आदि के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

6. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा उनमें ढील दे सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप- निदेशक (सर्वेक्षण)	8* (2018) * कार्यभार की भिन्नता के आधार पर परिवर्तनीय	समूह "क"	लेवल-11. (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन पद

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत कर्मियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति , भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

Scanned with CamScanner

11|2
-2- 5

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: सहायक निदेशक(सर्वेक्षण) में से, जिन्होंने इस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। **नोट:** ये कनिष्ठ अधिकारी जिन्होंने योग्यताएं अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित योग्यतापरक अथवा अर्हक सेवा अथवा ऐसी सेवाओं के आधे से ज्यादा अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी योग्यतापरक अथवा अर्हक सेवा को पहले ही पूर्ण कर लिया है, के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो। **प्रतिनियुक्ति:** मूल संवर्ग अथवा विभाग में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकायों के अधिकारी जो समकक्ष पदों पर हों। **नोट 1:** केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा उसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की यह अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार छप्पन (56) वर्ष से अधिक न हो। **नोट 2:** फीडर वर्ग में अधिकारी, जो पदोन्नति के सीधे क्रम में है, को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति(पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल हैं:- अभियंता सदस्य – अध्यक्ष; आयुक्त (आयोजना) - सदस्य; मुख्य लेखा अधिकारी - सदस्य; मुख्य अभियंता(क्यूएसी) - सदस्य; आयुक्त(पी) - सदस्य सचिव।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 सहायक निदेशक (परीक्षण)	2* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख'	स्तर-7 (44, 900/- 1,42,400/- रूपये)	चयन पद

Scanned with CamScanner

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय **नोट :** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में आवेदकों के आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि होगी न कि वह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख सम्भाग, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल और स्पीति जिले तथा पांगी उप सम्भाग, अंडमान और निकोबार के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।	भौतिक सर्वेक्षण अथवा भूमि का सीमांकन और ऐसे अन्य प्रासंगिक कार्य में आठ वर्ष का अनुभव के साथ किसी मान्यता-प्राप्त संस्था अथवा समकक्ष संस्था से सर्वेक्षण में डिप्लोमा अथवा दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र।	1. आयु सीमा – कोई नहीं 2. योग्यता – जी, हां आवश्यक।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ग्रेड के ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा वाले सर्वेक्षकों में से **नोट :** वे कनिष्ठ अधिकारी जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा का आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम है, से कम नहीं है, और अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी करने के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकायों अथवा वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल है : आयुक्त (कार्मिक) – अध्यक्ष आयुक्त (आयोजना) – सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि – उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामित किया जाएगा। निदेशक (कार्मिक) - सदस्य सचिव	लागू नहीं।

Scanned with CamScanner

नोट : 1. अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) जो उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित हो, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा वर्तमान छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट : 2.** फीडर श्रेणी के अधिकारी, जो सीधी प्रोन्नति के दायरे में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति कार्मिक प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सर्वेक्षक	*66 (2018)	समूह-'ग'	स्तर-5 (29,200 रु. – 92,300/-)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच में (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों/डीडीए कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट:** आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि भारत में आवेदकों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख सम्भाग, हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले के लाहौल और स्पीति जिले तथा पांगी उप सम्भाग, अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि) होगी।	मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेक्षण में डिप्लोमा या दो साल का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष योग्यता और सर्वेक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं।	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा।** **नोट:**—पदधारक के एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी	लागू नहीं।

Scanned with CamScanner

8/c

—197—

		या अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकायों के अधिकारियों जो मूल विभाग अथवा संवर्ग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर हों, से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।	

(12)	(13)
लागू नहीं।	लागू नहीं।

[फा. सं. के-11011/08/2018-डीडीIII]

राज कुमार, अवर सचिव,

नोट : नियम 5 का भूतलक्षी प्रभाव उक्त नियमों में उल्लिखित पदधारकों की सेवाओं को नियमित करने के उद्देश्य से प्रारंभिक गठन में दिया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करते हुए पदधारकों के हितों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

New Delhi, the 21st June, 2018.

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Survey), Assistant Director (Survey) and Surveyor, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Survey Cadre) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Initial constitution.**—The incumbents holding the post of Deputy Director (Survey), Assistant Director (Survey) and Surveyor who were appointed vide Delhi Development Authority's Resolution No.272 dated 29.03.1967, 43 dated 05.05.1979, 25 dated 31.01.1991 and modified Resolution No. 89/2015 dated 16.06.2015 on the regular basis to the said posts before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to said posts under these rules and the service rendered by them in the said posts before such commencement shall be taken into account for the purposes of probation, confirmation, promotion etc.

6. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Scanned with CamScanner

7/C

-156-

7. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. **Savings**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-Limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Director (Survey).	08* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group A.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700/-).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** From amongst Assistant Director (Survey) with seven years' regular service in the grade. **Note.**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments, Public Sector Undertaking or Autonomous bodies holding analogous post in parent cadre or department. **Note 1.**—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six yeas as on the closing date of the receipt of applications.

Scanned with CamScanner

6/c

– 193 –

			Note 2. – The official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of:- Engineer Member - Chairman; Commissioner (Planning) - Member; Chief Accounts Officer - Member; Chief Engineer (QAC) - Member; Commissioner (P) - Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.Assistant Director (Survey).	22* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	Group B.	Level-7 (Rs.44,900-1,42,400/-).	Selection post.	Relaxable for Government servant and Delhi Development Authority servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.	Diploma or Two years National Trade Certificate in Surveying from a recognised institute or equivalent with eight years' experience in physical survey or demarcation of land, and such relevant work.

(8)	(9)	(10)	(11)
(1) Age limit – No. (2) Qualification-Yes.	Two years.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	Promotion: From amongst Surveyors with eleven years regular service in the grade. Note.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is

Scanned with CamScanner

5/L

-194-

			less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous bodies holding analogous post in the present cadre or department. Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 2. – The official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Group 'B' departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of:- Commissioner (Personnel) - Chairman; Commissioner (Planning) - Member; Representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribe - Member to be nominated by Vice-Chairman, DDA. Director (Personnel) - Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Surveyor.	66* (2018)	Group 'C'.	Level-5 (Rs.29,200-92,300/-).	Not applicable.	Between 18 to 25 years. (Relaxable to Government servant and Delhi Development Authority employees in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date	Diploma or Two years National Trade Certificate in Surveying from a recognised institute or equivalent and two years' experience in survey work.

Scanned with CamScanner

41C

-193-

				for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note.–Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous bodies holding analogous posts on regular basis in the parent department or cadre.	Not applicable.

(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

[F. No. K-11011/08/2018-DDII]

RAJ KUMAR, Under Secy.

Note : The retrospective effect of Rule 5 is provided in the initial constitution with a view to regularize the services of the incumbents referred to in the said rules and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, it is not likely to adversely affect the interests of the incumbents.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

सा.का.नि. 190.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय, आशुलिपिक ग्रेड-I भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय, आशुलिपिक ग्रेड-I भर्ती, (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

Scanned with CamScanner